

Regarding promotion opportunities for in-service teachers due to implementation of mandatory TET requirement- Laid

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : हाल ही में स्कूलों में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश से, विशेषकर उन शिक्षकों में गहन चिंता और बेचैनी का माहौल है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट, 2009) लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे और जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में दशकों का मूल्यवान समय दिया है।

सेवाकालीन सुरक्षा का उल्लंघन: इन शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के समय प्रचलित नियमों और योग्यताओं के आधार पर नियुक्त किया गया था। सेवाकाल के बीच में यह शर्त लगाना उनके स्थापित सेवा अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

प्रशासनिक जटिलता: लाखों शिक्षकों को एक साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य करने से शैक्षणिक व्यवस्था के संचालन में अस्थिरता पैदा होने का गंभीर खतरा है। यदि बड़ी संख्या में शिक्षक TET उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी हो सकती है।

अनुभव की अनदेखी: वर्षों के शिक्षण अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान को केवल एक पात्रता परीक्षा के माध्यम से चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। उनका अनुभव भी उनकी योग्यता का प्रमाण है।

पदोन्नति और सेवानिवृत्ति पर प्रभाव: यह नियम उन शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर छीनता है, जो वर्षों से सेवा में हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा है, उनके लिए भी पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया है।